एस. जीवनंथम

बनाम

राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक, टीएन

21 अप्रैल, 2004

[के.जी. बालाकृष्णन और बी.एन.श्रीकृष्णा, जे.जे.]

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985:

धाराएँ &(ग) और 20(ख) – प्राथमिकी तैयार करने वाला और अन्वेषण करने वाला वही पुलिस अधिकारी – अन्वेषण की वैधता - पुलिस को अभियुक्त द्वारा "हशीश' की बिक्री के बारे में सूचित किया गया - अभियुक्त के कब्जे से प्रतिबंधित सामग्री पाई गई - निरीक्षक ने प्राथमिकी दर्ज की और अन्वेषण किया – विचारण में अभियुक्त को दोषी पाया गया और दोषसिद्ध किया - अभियुक्त की याचिका कि जाँच पक्षपातपूर्ण थी क्योंकि उसी निरीक्षक द्वारा मामले का अन्वेषण किया गया था जिसके बयान पर मामला दर्ज किया गया था – अभिनिर्धारित, निरीक्षक ने तलाशी ली और प्रतिबंधित वस्तु बरामद की और मामला दर्ज किया - अभियुक्त से जब्त की गई वस्तु मादक पदार्थ थी – अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिलता है कि अन्वेषण पूर्वाग्रह से ग्रस्त था या अभियुक्त के खिलाफ पक्षपातपूर्ण था - निरीक्षक ने अपनी आधिकारिक क्षमता में जानकारी दी, मामला दर्ज किया और बाद में अपने आधिकारिक कर्तव्य के हिस्से के रूप में मामले का अन्वेषण किया और आरोप पत्र पेश किया - वह

किसी भी तरह से मामले में व्यक्तिगत रूप से रुचि नहीं रखता था – अन्वेषण की प्रक्रिया में कोई पक्षपात नहीं कहा जा सकता है।

राज्य वी. बनाम जयपॉल, (2004) 3 स्केल 507, निर्भरता।

मेघा सिंह बनाम हरियाणा राज्य, [1996] 11 एससीसी 709, विशिष्ट।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 28 और 29 ऑफ़ 2002

आपराधिक अपील संख्या 1106/1998 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 19.6.2001 दिनांकित से।

टी. एन. सिंह, श्याम नारायण सिंह, सुश्री आशा गोपालन नायर, श्रीमती बी. सुनीता राव और शकील अहमद, अपीलार्थी की ओर से।

के. आर. शशिप्रभु, रमेश बाबू एम. आर., सुश्री सुषमा सूरी, सुब्रमण्यम प्रसाद और सुश्री विभा दत्ता मखीजा, प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया:

इन दोनों अपीलों में अपीलार्थियों पर विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस अधिनियम), मदुरै द्वारा मुकदमा चलाया गया था। दोनों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8(सी) सपठित 20(बी)(2) के तहत अपराधों का दोषी पाया गया। पीडब्लू-7, उप निरीक्षक, थिरुमंगलम पुलिस थाना को सूचना मिली कि कुछ स्थानों पर मादक पदार्थ बेचा जा रहा था और उसने जानकारी दर्ज की और उसे वरिष्ठ अधिकारी को भेजा और वह पीडब्लू-8 के साथ उस स्थान पर गया और पाया कि अपीलार्थी मुनियंडी

और एक कन्नन और पीडब्लू-7 ने उन्हें बताया कि उनकी तलाशी ली जानी है। तलाशी ली गई और उनमें से प्रत्येक के पास एक किलो "ह्शीश" था। उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस दल मुथुदेवनपट्टी गया और अपीलार्थी जीवनंथम का पता लगाया। अधिनियम की धारा 50 की पालना करने के बाद उसकी तलाशी ली गई और उसके पास से 2 किलो "ह्शीश" बरामद किया गया। अपीलार्थियों को विशेष न्यायाधीश द्वारा दोषी पाया गया और उन्होंने दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर की। अपीलार्थी मुनियंडी और जीवनंथम ने उच्च न्यायालय के समक्ष अलग-अलग अपीलें दायर की, और उच्च न्यायालय ने उनकी दो अपीलों को खारिज कर दिया और इस प्रकार विशेष अनुमति के माध्यम से ये अपीलें।

हमने अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पीडब्लू-8 निरीक्षक ने तलाशी लेने के बाद प्राथमिकी तैयार की और यह पीडब्लू-8 के बयान के आधार पर अपीलार्थियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और यह तर्क दिया कि पीडब्लू-8 शिकायतकर्ता था और उसने स्वयं मामले का अन्वेषण किया और यह अवैध है और मामले का पूरा अन्वेषण दूषित है। मेघा सिंह बनाम हरियाणा राज्य, [1996] 11 एससीसी 709 के फैंसले पर भरोसा किया गया जिसमें इस न्यायालय ने कहा कि कांस्टेबल, जो वास्तव में शिकायतकर्ता था, ने स्वयं मामले का अन्वेषण किया था और यह निष्पक्ष अन्वेषण को प्रभावित करता है। इस न्यायालय ने कहा कि हेड कांस्टेबल जिसने आरोपी को गिरफ्तार किया, तलाशी ली, पिस्तौल बरामद की और उसकी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई और मामला शुरू किया गया और बाद में उसने खुद अन्वेषण के हिस्से के रूप में धारा 161 के तहत गवाहों का

बयान दर्ज किया और इस तरह की प्रथा का सहारा नहीं लिया जा सकता है क्योंकि यह स्वच्छ और निष्पक्ष जांच को प्रभावित कर सकता है। इस निर्णय को बाद में इस न्यायालय द्वारा राज्य वी. बनाम जयपॉल, [2004] 3 स्केल 507 में संदर्भित किया गया था, जिसमें यह कहा गया किः

> "हमें यह मानने के लिए कोई सिद्धांत या बाध्यकारी प्राधिकार नहीं मिला है कि जिस क्षण सक्षम पुलिस अधिकारी, प्राप्त जानकारी के आधार पर, मुखबिर के रूप में अपना नाम शामिल करते हुए एक प्राथमिकी दर्ज करता है, वह अन्वेषण करने का अपना अधिकार खो देता है। यदि ऐसा है भी, तो ऐसा अन्वेषण केवल पूर्वाग्रह के आधार पर या जांच अधिकारी की ओर से पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना पर हमला करके ही किया जा सकता है। पूर्वाग्रह का प्रश्न प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और जिस तरीके से यह किया गया है, उसमें एक व्यापक और अयोग्य प्रस्ताव देना उचित नहीं है।"

तत्काल मामले में, पीडब्लू-8 ने तलाशी ली और निषिद्ध वस्तु बरामद की और मामला दर्ज किया गया और अपीलार्थी से जब्त की गई वस्तु मादक पदार्थ थी और अपीलार्थी का अधिवक्ता ऐसी किसी भी परिस्थिति की ओर इशारा नहीं कर सका जिससे अन्वेषण में अपीलार्थी के खिलाफ पूर्वाग्रह पैदा हुआ या पक्षपात हुआ। पीडब्लू-

8 ने अपनी आधिकारिक क्षमता में जानकारी दी, अपने आधिकारिक कर्तव्य के हिस्से के रूप में मामला दर्ज किया और बाद में मामले का अन्वेषण किया और आरोप पत्र पेश किया। उसे किसी भी तरह से इस मामले में व्यक्तिगत रूप से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम अन्वेषण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं पाते हैं।

अपीलार्थियों को विशेष न्यायाधीश द्वारा उचित रूप से दोषी ठहराया गया है और उच्च न्यायालय भी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करने में उचित था। ये अपीलें बिना किसी योग्यता के हैं और तदनुसार खारिज की जा रही हैं।

आर. पी.

अपीलें खारिज की गईं।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

*****